न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

1. राजस्व अपील संख्या 5/2015
2. विविध प्रार्थना पत्र संख्या /2016

कान्ता देवी पत्नी श्री भंवरलाल जाति पारीक निवासी रामनगर कॉलोनी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामधन पुत्र श्री तेजा जाति जाट निवासी गूजरवाडा जयपुर रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार।

रेस्पोन्डेन्टस

''प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी''

उपस्थित :–

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मदनलाल गुर्जर वकील रेस्पोन्डेन्टस संख्या 1 की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक :– 24.08.2016

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार केकडी द्वारा अपने आदेश क्रमांक/भू.अ./10/5077 दिनांक 07.09.2010 से ग्राम केकडी के साबिक आराजी खसरा नम्बर 748/1/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 5027 रकबा 0.28 हैक्टर भूमि श्री रामधन पुत्र श्री तेजा जाति जाट निवासी केकडी के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही करने के आदेश पटवारी हल्का केकडी को दिये गये, तत्पश्चात पटवारी हल्का केकडी द्वारा उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 843 भर कर आवश्यक स्वीकृति हेतु पेश किया तहसीलदार केकडी द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.09.2010 से नामान्तरकरण श्री रामधन पुत्र श्री तेजा जाति जाट निवासी ग्राम केकडी के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आदेश दिनांक 07.09.2010 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई।

अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्टस के नाम नोटिस जारी किये गये रेस्पोन्डेन्टस जरिये वकील उपस्थित हुए तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी वास्ते तारीख पेशी दिये जाने प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उनका कथन है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पूर्व में आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसको माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2016 को निरस्त

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner

कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थी द्वारा एक निगरानी याचिका माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 05.07.2016 को प्रस्तुत कर दी गई है जिसका प्रकरण संख्या 4921/2016 है। उन्होंने आगे कथन किया कि विद्वान अपर कलक्टर राजस्व मण्डल के अधीन न्यायालय है व माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 को चुनौती दी गई है ऐसी स्थिति में जब तक माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं हो जाता तब तक विचाराधीन अपील की सुनवाई श्रीमान् द्वारा नहीं की जा सकती है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न किया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त प्रकरण में जब तक राजस्व मण्डल से कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता तब तक विचाराधीन अपील में कोई कार्यवाही नहीं की जावे तथा आगामी पेशी प्रदान की जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है। किन्तु माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है। उनका कथन है कि प्रार्थी द्वारा अकारण अपील को निस्तारित नहीं होने बाबत् समय–समय पर विभिन्न प्रकार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील के निस्तारण में अनावश्यक आक्षेप किये जा रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर न्यायहित में उभयपक्ष की सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर अपील का निस्तारण किया जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन निगरानी याचिका में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया है किन्तु माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण से पूर्व इस न्यायालय द्वारा अगर निर्णय पारित किया जाता है तो दोनों निर्णयों में विरोधाभाष उत्पन्न होने की संभावना है। अतः इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को जब तक माननीय राजस्व मण्डल से कोई निर्णय पारित नहीं हो जाता तब तक Abeyence में रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन निगरानी में निर्णय पारित होने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पुनः प्रस्तुत हो।

आदेश सुनाया गया।

(Stamp: न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर — सत्यमेव जयते)

(अभिषेक कुमार)
अपर जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner